



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2470]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2015/कार्तिक 29, 1937

No. 2470]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2015/KARTIKA 29, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2015

का. आ. 3122(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान के सिरोही जिले के दक्षिण क्षेत्र में अरावली पहाड़ी शृंखला में स्थिति है । अक्षांश 72° 53' पश्चिम और 72° 35' पश्चिम तथा देशांतर 24° 30' उत्तर और 24° 30' उत्तर के मध्य और 326.09 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा अधिसूचना तारीख 17 अप्रैल, 2008 द्वारा अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है ।

और, यह संरक्षित क्षेत्र अपने तुलनात्मक रूप से ऊंचे आक्षांश नीचे भूभाग के साथ उच्च-कटिबंधीय नम पर्णपाती पौधा प्रजातियों और सदा बहामें पाए जाने वाली उष्ण प्रजातियों का पर्यावास है जो अरावली रेड स्पेर फाउलतियों और ग्रे जंगल फाउल और वनस्प, पर्यावास का निर्माण करता है। इसके प्रजातियों के लिए सूक्ष्म अन्यप्राणियों की विभिन्न नांतरित विभिन्नकि यह हिमालय से स्था अनोखा है क्यों यह अभयारण्य, अलावा प्रजातियों हेतु वितरण सीमा का निर्माण करता है।

और, जैव में से एक विविधता के दृष्टिकोण से माउंट आबू सर्वाधिक समृद्ध अभयारण्यों-मछलियों की, प्रजातियों 6 कीबियन्सअम्फी, प्रजातियों 42 है। यहां सरीसर्पों की लगभग पक्षियों, प्रजातियों 72 ओषधीय पौधों की प्रजातियों 16 की प्रजातियों तथा पौधों 127 नई दिल्ली, औषधीय पौधा बोर्डप्रजातियों को अभिज्ञात किया गया है। राष्ट्री 675 की पौधा प्रजातियां 8 में प्राय ओषधीय पौधों में से अभयारण्यविलुप्त 32 द्वारा अभिज्ञात पाई जाती हैं।

और माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिसंवेदी जोन सृजित करके-तिजात और प्राणीजात के संरक्षण के में वनस्पपर्यावरणीय दृष्टिकोण से इस अभयारण्यक है लिए हानिकर कतिपय कार्यकलापों को विनियमित करना आवश्यक है।

और, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन, की सीमा के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर के विस्तार के क्षेत्र में फैला हुआ है।

(2) सीमा के ब्यौरों और अक्षांश तथा देशांतर सहित उपाबंध I के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा के ब्यौरों और अक्षांश तथा देशांतर सहित पारिस्थितिक संवेदी जोन के मानचित्र क्रमशः उपाबंध II के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 43 ग्रामों की सूची उपाबंध III गप दी गई है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना - (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) उक्त आंचलिक महायोजना को राज्य के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार किया जायेगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
- (ix) सिंचाई ; और
- (x) लोक निर्माण विभाग,

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए होंगे।

- (5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकीय अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।
- (6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजाति क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी।
- (9) राजस्थान राज्य की सरकार अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के लिए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

- (1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 5 के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं0 11, 21, 26, 27 और 28 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचयन; और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की

मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि ह्रित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन** -- (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) यथावश्यक परिवर्तनों सहित मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) 1 किलोमीटर सीमा के भीतर नये होटलों और रिसोर्टों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे सिवाय पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के संबंध में पर्यटकों के लिए अस्थायी निवास स्थानों के;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इकाइयां** -

(क) विधि के अनुसार स्थापित काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाय प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योगों को स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनी प्रदूषण करने वाले किसी नए उद्योग को स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद

		बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(4)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(5)	नई बृहत जल विद्युत परियोजनाएं।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	राज्य स्तर समिति द्वारा अनुज्ञात के सिवाए कोई सन्निर्माण क्रियाकलाप 1 से 10 से अधिक ढलाव वाली पहाड़ियों और किसी नदी, प्राकृतिक नाले, के किनारे से 100 मीटर तक नहीं किया जाएगा।
(7)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	वायुयान, गर्म वायु गुबारे द्वारा राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में ऊपरी उड़ान जैसे पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(10)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
विनियमित क्रियाकलाप		
(11)	होटलों और रिसोर्टों का स्थापन।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं किया जाएगा सिवाय पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के अस्थायी निवास स्थानों के।
(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु यह कि स्थानीय निवासियों को उनकी घरेलू आवश्यकताओं, जिसके जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अनुज्ञात किया जाएगा : परंतु यह और कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप यथा लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सदभावी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए दो मंजिले भवनों तक संनिर्माण अनुज्ञात किया जाएगा।
(13)	खाई-स्थल।	विद्यमान खाई स्थल का स्थापन को प्रतिसिद्ध किया जाता है और पुराने खाई स्थलों को लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(14)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

	उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	
(15)	वायु और यानिय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(16)	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(17)	भू-जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(18)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्हीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी; (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे; (ग) आरक्षित वन और संरक्षित वन की दशा में निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन किया किया जाएगा।
(19)	विद्यमान स्थापन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(20)	विद्युत लाइनों का संप्रेषण।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गुजरने वाले विद्यमान विद्युत लाइन के भूमिगत केबल आंचलिक महायोजना के अधीन विहित की गई समयावधि में पर्याप्त रूप से लगाए जाएंगे।
(21)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	यथा लागू उचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और न्यूनिकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
(22)	होटलों और लॉजों के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। वन्यजीवों की आवाजाही की अनुमति रहे, इसलिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर स्थित होटलों या अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अपने परिसर के चारों ओर कटीले तारों की बाड़ नहीं लगाएंगे। और बाड़ की ऊंचाई 1 मीटर से अधिक नहीं होगी। यदि किसी मौजूदा बाड़ के निर्माण में इस शर्त का पालन नहीं किया गया है तो उसे आंचलिक महायोजना में उल्लिखित समयसीमा के भीतर बदला जाएगा।
संवर्धित क्रियाकलाप :		
(23)	डेयरी, डेयरी उद्योग, और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(24)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(25)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(26)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(27)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(28)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय सामान से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्योग, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
(32)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।

5. मानीटरी समिति - (क) केंद्रीय सरकार, राजस्थान राज्य के अंतर्गत पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (1) जिला कलेक्टर, सिरौही - अध्यक्ष;

- (2) नगर योजना सिरोही के जिला स्तर के अधिकारी- सदस्य ;
- (3) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय अधिकारी - सदस्य ;
- (4) अवैतनिक वन्यजीव वार्डन - सदस्य ;
- (5) प्रधान पंचायत समिति, सिरोही या पिन्दवारा रेवदार और अबू रोड (संबंधित क्षेत्र के लिए) - सदस्य;
- (6) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;
- (7) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा- सदस्य ;
- (8) उपखंड अधिकारी, सिरोही या पिन्दवारा रेवदार अबू रोड (संबंधित क्षेत्र के लिए) - सदस्य;
- (9) उप वन संरक्षक, माउंट अबू वन्यजीव अभयारण्य – सदस्य-सचिव

ख. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर उक्त वर्ष कि 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, होंगे ।

[फा. सं. 25/55/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-1

माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के जीपीएस निर्देशांकों की दृष्टि से उसकी सीमा का ब्यौरा और इसका पारिस्थितिक संवेदी जोन

माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ - साथ जीपीएस निर्देशांक बिंदु-

क्र.सं.	जीपीएस	अक्षांश	देशांतर
1	पू.01	72° 44.809' पू.	24° 43.209' उ.
2	पू.02	72° 51.283' पू.	24° 43.526' उ.
3	पू.03	72° 52.691' पू.	24° 41.500' उ.
4	पू.04	72° 52.009' पू.	24° 38.367' उ.
5	पू.05	72° 48.813' पू.	24° 34.290' उ.
6	पू.06	72° 46.795' पू.	24° 31.073' उ.
7	पू.07	72° 43.981' पू.	24° 31.353' उ.
8	पू.08	72° 41.791' पू.	24° 30.603' उ.
9	पू.09	72° 40.628' पू.	24° 32.557' उ.
10	पू.10	72° 38.500' पू.	24° 31.162' उ.
11	पू.11	72° 40.154' पू.	24° 33.481' उ.
12	पू.12	72° 36.855' पू.	24° 31.414' उ.
13	पू.13	72° 38.114' पू.	24° 34.320' उ.
14	पू.14	72° 40.512' पू.	24° 36.677' उ.
15	पू.15	72° 43.525' पू.	24° 39.131' उ.
16	पू.16	72° 43.600' पू.	24° 40.934' उ.


माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ-साथ जीपीएस निर्देशांक बिंदु

क्र.सं.	जीपीएस	अक्षांश	देशांतर
1	पू.01	72° 42.733' पू.	24° 38.644' उ.
2	पू.02	72° 41.567' पू.	24° 39.360' उ.
3	पू.03	72° 43.553' पू.	24° 42.717' उ.
4	पू.04	72° 47.218' पू.	24° 43.926' उ.

5	पू.05	72° 52.622' पू.	24° 43.812' उ.
6	पू.06	72° 52.598' पू.	24° 38.395' उ.
7	पू.07	72° 49.692' पू.	24° 33.865' उ.
8	पू.08	72° 35.350' पू.	24° 31.783' उ.
9	पू.09	72° 36.829' पू.	24° 34.341' उ.
10	पू.10	72° 38.262' पू.	24° 36.655' उ.
11	पू.11	72° 39.925' पू.	24° 38.690' उ.
12	पू.12	72° 41.580' पू.	24° 37.842' उ.

उपाबंध II

माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन



अनुबंध-III

माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के अंतर्गत
आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्र.सं.	ग्राम का नाम
1	ननारवारा	30	भाकयोरजी
2	निटोडा	31	बिगेरी
3	उबेरा	32	अंबावेरी
4	नागपुर	33	चंदेला
5	पंचदेवल	34	फतेहपुरा
6	मंडवारा	35	सकोडा
7	खोखरी खेडा	36	ब्लॉक न .2
8	कचोली	37	गिरवार
9	फुलाबाई का खेडा	38	मुंगथाला
10	तेलपी खेडा	39	धामसरा
11	हदमतिया	40	मही खेडा
12	अनादरा	41	इसरा
13	डाक	42	वजना
14	धनेरा	43	स्मारवा का गोलिया
15	पलदी खेडा		--
16	धवेली		--
17	सिंगराली खेडा		--
18	बुरारी खेडा		--
19	बारी खेडा		--
20	पडरू खेडा		--
21	टोकरा		--
22	क्यारिया		..
23	सरलिया		..
24	उदवारिया		..
25	डाटा		..
26	पिपला		..
27	कोटडा		..
28	किरा		..
29	झामर		..

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान :

1. बैठकों की संख्या और दिनांक ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश ।
ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश ।
ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2015

S.O. 3122(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Mount Abu wildlife sanctuary situated in Aravali Hill range in the South region of Rajasthan in Sirohi district and lying between 72° 53' E– 72° 35' E longitude and 24° 30' N to 24° 44' N latitude comprising of an area of 326.09 sq.km was declared as a sanctuary in the year 2008 vide notification dated the April 17, 2008.

And Whereas this protected area, with its comparatively undulating terrain provide habitat for the tropical moist deciduous plant species and ever green species found at higher altitudes which form micro habitat for the Aravalli Red Spur Fowl, Grey Jungle Fowl, and several other species of flora and fauna. Further the sanctuary is unique as it forms the distribution limit for many species that have moved from Himalayas.

And Whereas, Mount Abu is one of the richest sanctuaries from the point of biodiversity. Nearly 42 species of reptiles, 6 species of amphibians, 16 species of fishes, 72 species of medicinal plants, 127 species of birds and 675 species of plants have been identified. Out of 32 endangered medicinal plants identified by the National medicinal plant board New-Delhi, 8 plant species are found in the sanctuary.

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Mt. Abu Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now Therefore in exercise of power conferred under sub-section (1) read with clause (V) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 the Central Government hereby notifies an area from 0 to 1 km around the boundary of the Mount Abu Wildlife sanctuary as Eco-sensitive Zone (herein after referred as to “Eco sensitive Zone”) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone shall be with an extent varying from 0 to 1 km. around the boundary of Mount Abu Wildlife Sanctuary.

(2) The boundary details in terms of latitudes and longitudes are given in **Annexure-I**.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II**.

(4) The list of 43 villages falling in Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The said Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The said Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment,
- (ii) Forest,
- (iii) Urban Development,
- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture
- (viii) Rajasthan State Pollution Control Board,
- (ix) Irrigation and
- (x) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(6) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The said Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(8) The said Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(9) The said Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 11, 21, 26, 27 and 28 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) The eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,
- (ii) The widening and strengthening of existing roads and construction of new roads,
- (iii) The small scale industries not causing pollution,
- (iv) The rainwater harvesting, and
- (v) The Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government or Rajasthan State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government or Rajasthan State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made there under.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.**- The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units.**-

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units and salt farming.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godvarman Thirumulpad Vs. Union of India in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water	No new or expansion of polluting industries in the

	or air or soil or noise pollution.	Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Protection of hill slopes and river banks	No construction activity unless otherwise permitted by State Level Committee shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
11.	Establishment of hotels and resorts	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities.
12.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in subparagraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) The construction of any new building more than 2 storey shall not be allowed in the area falling within the limit of Eco-Sensitive Zone of Mount Abu Sanctuary.
13.	Trenching ground.	Establishing of new trenching ground is prohibited and old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
14.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
15.	Air and Vehicular Pollution	Regulated under applicable laws.
16.	Noise pollution	Regulated under applicable laws.
17.	Extraction of ground water	Regulated under applicable laws.
18.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned

		Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
19.	Existing establishments	Regulated under applicable laws
20.	Insulation of electric lines	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
21.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
Promoted Activities		
23.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries	Shall be actively promoted.
24.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
25.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
26.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
27.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
28.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
29.	Use of renewable energy sources	Shall be actively promoted.

5. (A) Monitoring Committee:-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone which shall comprise of the following namely:-

1. District Collector, Sirohi Chairman
2. Sirohi district level officers of town planning. Members
3. Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board Member
4. Honorary Wild Life Warden Member

5. Pradhan Panchayat Samiti Sirohi\Pindwara Revdar \ Abu Road (for respective area) Member
6. One representative of non-government organization working in the field of environment to be nominated by the State Government for a term of one year in each case. Member
7. An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government for a term of one year in each case. Member
8. Sub Divisional Officer Sirohi/Pindwara/Revdar /Mount Abu (for respective area) Member
9. Deputy conservator of forests, Mount Abu Wildlife Sanctuary Member-Secretary

(B). Terms of Reference:-

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
6. The Central Government and the State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal .

[F. No. 25/55/2015-ESZ -RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure – I

Boundary details in terms of GPS coordinates of Mount Abu Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive

Zone

GPS co-ordinates of points along the boundary of Mount Abu WLS


Sl. No.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	72° 44.809' E	24° 43.209' N
2	E02	72° 51.283' E	24° 43.526' N
3	E03	72° 52.691' E	24° 41.500' N
4	E04	72° 52.009' E	24° 38.367' N
5	E05	72° 48.813' E	24° 34.290' N
6	E06	72° 46.795' E	24° 31.073' N
7	E07	72° 43.981' E	24° 31.353' N
8	E08	72° 41.791' E	24° 30.603' N
9	E09	72° 40.628' E	24° 32.557' N
10	E10	72° 38.500' E	24° 31.162' N
11	E11	72° 40.154' E	24° 33.481' N
12	E12	72° 36.855' E	24° 31.414' N
13	E13	72° 38.114' E	24° 34.320' N
14	E14	72° 40.512' E	24° 36.677' N
15	E15	72° 43.525' E	24° 39.131' N
16	E16	72° 43.600' E	24° 40.934' N

GPS co-ordinates of points along the boundary of Eco-sensitive Zone Mount Abu WLS

Sl. No.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	72° 42.733' E	24° 38.644' N
2	E02	72° 41.567' E	24° 39.360' N
3	E03	72° 43.553' E	24° 42.717' N
4	E04	72° 47.218' E	24° 43.926' N
5	E05	72° 52.622' E	24° 43.812' N
6	E06	72° 52.598' E	24° 38.395' N
7	E07	72° 49.692' E	24° 33.865' N
8	E08	72° 35.350' E	24° 31.783' N
9	E09	72° 36.829' E	24° 34.341' N
10	E10	72° 38.262' E	24° 36.655' N
11	E11	72° 39.925' E	24° 38.690' N
12	E12	72° 41.580' E	24° 37.842' N

Annexure-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES



S. No.	Name of the village	S. No.	Name of the village
1	Nanarwara	30	Bhakyorji
2	Nitoda	31	Bgeri
3	Ubera	32	Ambaberi
4	Nagpura	33	Chandela
5	Panchdeval	34	Fatehpura
6	Mandwara	35	Sakoda
7	Khokhari Kheda	36	Block No.2
8	Kacholi	37	Girwar
9	Phulabai ka kheda	38	Mungthala
10	Telpi kheda	39	Dhamsra
11	Hadmatiya	40	Mahi kheda
12	Anadra	41	Isra
13	Dak	42	Vajna
14	Dhanera	43	Smarwa ka goliya
15	Paldi kheda		--
16	Dhavali		--
17	Singrali kheda		--
18	Burari kheda		--
19	Bari kheda		--
20	Padru kheda		--
21	Tokra		--
22	Kyaria		--
23	Sarlia		--
24	Udwariya		--
25	Data		--
26	Pipla		--
27	<i>Kotda</i>		--
28	Kyra		--
29	Jhamar		--

Annexure -IV**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.